FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला–जालोर (राज.) मुकाम

तहसीलदार आहोर बनाम धोगाराम वल्द हकमा

किस्मत मुकदमा नं. 27/19 रद्

दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र धारा 136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-7-19	तहसीलदार आहोर द्वारा पत्रांक – दिनांक 1-7-19 के जरिये ग्राम बोकड़ा के खसरा नम्बर 429/522 के क्रम में एक दुरुस्ती प्रा० पत्र पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेशी तारीख 15-7-19 को वास्ते आदेश पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला–जालोर (राज.)	
15-7-19	पत्रावली आज पेश हुई पेशकार तहसीलदार उपस्थित। उक्त प्रकरण को तहसीलदार आहोर द्वारा सुव्यवस्थित पत्रावली संधारित कर प्रकरण नियमानुसार पेश नहीं किया है अतः प्रकरण को सुनियोजित रूप से पेश करने हेतु अन्य से लिखा जावे एवं उक्त प्रकरण के संबंध में जो जो खातेदार एवं हितबद्ध है उन्हें सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है अतः तहसीलदार आहोर आज ही संबंधित प्रकरण में हितबद्धों को पक्षकार संधारित कर तलबी हेतु आज ही नोटिस पेश करें। पत्रावली दिनांक 30.7.19 को पेश हो। [signature]	नोटिस 53, 54, 55, 56, 57, 58 दिनांक 15-7-19

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी
30-7-19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार उपस्थित। पक्षकारान प्रभुजी थानाजी पुरीदेवी ऊकाराम छोगाराम, राजाराम, जुवाराम उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया रेकार्ड का भी अवलोकन किया गया बाद सुनने पक्षकारान, प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर सविस्तार निर्णय जुदागाना लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार आहोर को पालनार्थ भेजी जावे। बाद तहरीर पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो। सुनाया गया सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला-जालोर (राज.)	प्रभुजी थानाजी पुरीदेवी ऊकाराम छोगाराम राजाराम जुवाराम निर्णय 416 30-7-19

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर– RAS

प्रकरण सं. 27 / 2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

तहसीलदार आहोर छोगाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956

निर्णय दिनांक 30.07.2019

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री छोगाराम पुत्र हकमाराम कौम चौधरी सा. बोकडा द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.R. Act 1956 पेश कर मौजा बोकडा के वर्तमान ख.नं. 429 / 522 में बंटवाडा होने से बने नये ख.नं. 547 / 522, 540 / 522 की तरमीम ख. नं. 429 में गलत दर्ज हुई है को निरस्त कर ख.नं. 429 / 522 में करने हेतु पेश किया गया। तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दुरस्ती आदेश जारी करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण सुव्यवस्थित पक्षकारान् संयोजित कर नियमानुसार पेश नहीं करने पर पत्रावली कायम कर जरिये नोटिस संबंधित पक्षकारान् को साक्ष्य सबूत व सुने जाने हेतु तलब किया गया। ख.नं. 429 / 522 व उसमें जरिये बंटवाडा के द्वारा नये बने खसरा नम्बर 547 / 522, 540 / 522 की तरमीम को ख.नं. 429 के खातेदारान् द्वारा दुरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। भू–अ. निरीक्षक बादनवाडी व पटवारी हल्का देच्छू की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 429 / 522 से बने नये खसरे 547 / 522, 540 / 522 की तरमीम जो ख.नं. 429 में से निरस्त कर ख.नं. 429 / 522 में किया जाना उचित बताया है तथा तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त दुरस्ती करने की अनुशंषा की है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। मौजा बोकडा के वर्तमान ख.नं. 429 / 522 नक्शा लट्ठा में दर्ज नही होने के कारण केवल ख.नं. 429 को ही 429 / 522 लिखकर उसमें नये ख.नं. 547 / 522, 540 / 522 की तरमीम की गई। द्वितीय सेटलमेंट विभाग द्वारा ख.नं. 429 / 522 की तरमीम चकतराशी की शीट में की गई जबकि मूल शीट, मोमी शीट या नक्शा लट्ठा में नही किये जाने के कारण ख.नं. 429 / 522 में बंटवाडा होने पर जो नवीन बने खसरा नम्बर 547 / 522, 540 / 522 की तरमीम की गई वह गलत दर्ज हो गई। सेटलमेंट विभाग के अमीन द्वारा नक्शा लट्ठा में उक्त ख.नं. 429 / 522 की तरमीम कर देने के कारण वर्तमान मे गलत दर्ज तरमीम को दुरस्त कर मूल ख.

30/7/19

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

नं. 429 में से निरस्त कर ख.नं. 429/522 में बंटवाडा अनुसार दर्ज करना उचित है। ताकि नक्शा व जमाबंदी में एकरूपता आ सके।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा बोकडा के वर्तमान ख.नं. 429 में की गई गलत तरमीम ख.नं. 547/522, 540/522 को निरस्त कर ख.नं. 429/522 में किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आहोर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

30/7/15

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner